

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 669/2023

अनवान : -

1. रतन कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. दलीप सिंह पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. वीर सिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. शान्ति पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. हेमराज पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 09/09/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के 167/167 के प० न० 373/439 (23) किला नं. 23, 24 की 0.506 है० प० न० 373/440 (46) किला नं. 3, 4 की 0.506 है०, 5/1 की 0.0250 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.2280 है०, 6/1 की 0.0250 है० गै० मु० रास्ता, 6/2 की 0.0080 है०, 7, 8 की 0.506 है०, 14 0.2530 है०, 15/1 की 0.0250 है० गै० मु० रास्ता, 15/2 की 0.2280 है०, 16/1 की 0.0250 है० गै० मु० रास्ता, 16/2 की 0.2280 है०, 17 की 0.2530 है० कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.0360 है० भूमि व रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 263/245 के प० न० 377/439 (2) किला नं. 22 की 0.0380 है०, 23 की 0.1390 है० प० न० 377/440 (11) किला नं. 2, 3, 4 की 0.759 है०, 6/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 6/2 की 0.2280 है०, 7, 8, 9 की 0.759 है०, 11/2 की 0.0440 है०, 12, 13, 14 की 0.759 है०, 15/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 15/2 की 0.2280 है०, 16/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 16/2 की 0.2280 है०, 17 ता 24 प्रत्येक की 0.2530 है०, 25/1 की 0.0260 है० गै० मु० खाला, 25/2 की 0.2270 है० प० न० 377/441 (20) किला नं. 1/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 1/2 की 0.2280 है०, 2/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 2/2 की 0.2280 है०, 3/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 3/2 की 0.2280 है०, 4/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 4/2 की 0.2280 है०, 5/1 की 0.0260 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 5/3 की 0.2020 है०, 6/1 की 0.0250 है० गै० मु० रास्ता, 6/2 की 0.2280 है०, 7, 8 की 0.506 है० प० न० 378/440 (10) किला नं. 20, 21 की 0.506 है० प० न० 378/441 (21) किला नं. 1/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 1/2 की 0.2280 है०, 10 की 0.2530 है० कुल खसरे 48 का कुल क्षेत्रफल 8.5700 है० भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है परोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की कृषि भूमि है जिसमें नींव, सींव व ल



Zahur

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विवाद बना रहता है इसलिए वादी विवाद व लड़ाई झगड़ा को टालने की गर्ज से उपरोक्त खाते की भूमि का मुताबिक किस्म व किमत के अनुसार खाता व लगान अलग-अलग करवापाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स० 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा व नहर के साथ चिपती भूमि अच्छी किस्म की मिट्टे पानी की ट्यूबवेल लगाने वाली भूमि में हक हिस्सा के अनुसार भूमि दी जावे ताकि प्रत्येक काश्तका अपने खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगा सके व शेष वादग्रस्त कृषि भूमि का मुताबिक का हक हिस्सा व किस्म के अनुसार कमी बसी साथ लगती हुई भूमि में से पुरी की जाकर खाता व लगान अलग किया जावे।

अतः वाद वादी घोषणा की जावे की रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 263/245 के ख०न० 48 की 8.57 हैक्ट भूमि के प०न० 337/439(2) किला न० 22,23 में नहर कटी हुई है इसलिए किला न० 22, 23 के चिपते हुए जिसमें हिस्से के अनुसार नहर की भूमि प्रत्येक काश्तकार को दी जाकर व 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 263/245 की शेष भूमि व रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 167/167 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि व दोनो खातों की भूमि का मुताबिक किस्म व मित के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 167/167 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 263/245 की कुल 8.5700 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

रोही मौजा 20 डीपीएन

1. रतन कुमार पुत्र अमीलाल 1/3 हि०, वीरसिंह पुत्र अमीलाल 1/3 हि०, शान्ति पत्नी अमीलाल 1/3 हि० कौम जाट सा० रामगढ़ खातेदार रहन रतन कुमार वीरसिंह हि० एसबीआई शाखा रामगढ़ उज्जलवास- प०न० 373/440 के मु०न० 46 के किला न० 4/1 की 0.104, 5/1 की 0.025 रास्ता, 5/2 की 0.228 हैक्ट, 6/1 की 0.025, 6/2

की 0.215, 6/3 की 0.013 रास्ता प्रस्तावित, 7/1 की 0.102, 15/1 की 0.025 रास्ता, 15/2 की 0.160, 16/1 की 0.025 रास्ता, 16/2 की 0.160 कुल किता 11 - 1.082 हैक्ट, नहरी- 0.0969, रास्ता- 0.113 हैक्ट

2. दलीपसिंह पुत्र बस्तीराम कौम जाट सा० रामगढ़ खातेदार रहन एसबीआई शाखा 12 डीपीएन गोगामेड़ी- प०न० 373/440 के मु०न० 46 के किला न० 3/1 की 0.034, 4/2 की 0.149, 7/2 की 0.138, 7/3 की 0.13 रास्ता प्रस्तावित, 8/1 की 0.32, 8/2 की 0.002 रास्ता प्रस्तावित, 14/1 की 0.092, 15/3 की 0.068, 16/3 की 0.068, 17/1 की 0.092, प०न० 373/439 मु०न० 23 के किला न० 23/1 की 0.043, 24 की 0.253 कुल किता 12 - 0.984 हैक्ट, नहरी-0.969, रास्ता- 0.015 रास्ता

3. हेमराज पुत्र बस्तीराम कौम जाट सा० रामगढ़ खातेदार रहन एसबीआई शाखा रामगढ़ उज्जलवास- प०न० 373/440 के मु०न० 46 के किला न० 3/2 की 0.219, 8/3 की 0.219, 14/2 की 0.161, 17/ की 0.161, प०न० 373/439 मु०न० 23 के किला न० 23/2 की 0.210 हैक्ट कुल किता 5 - 0.970 हैक्ट

रोही मौजा चक 16 डीपीएन

1. रतन कुमार पुत्र अमीलाल 1/3 हि०, वीरसिंह पुत्र अमीलाल 1/3 हि०, शान्ति पत्नी अमीलाल 1/3 हि० कौम जाट सा० रामगढ़ खातेदार रहन रतन कुमार वीरसिंह हि० एसबीआई शाखा रामगढ़ उज्जलवास-प०न० 377/440 मु०न० 11 के किला न० 3/3 की 0.001, 4 की 0.253, 6/1 की 0.025 खाला, 6/2 की 0.228, 7/1 की 0.001, 15/1 की 0.228, 15/2 की 0.228, 16/1 की 0.025 खाला, 16/2 की 0.228, 24/1 की 0.127, 25/1 की 0.026 खाला, 25/2 की 0.227, प०न० 377/439(2) किला न० 23/3 की 0.046, 377/441(20) के किला न० 5/1 की 0.026 रास्ता, 5/2 की 0.025 खाला, 5/3 की 0.189, 5/4 की 0.013 रास्ता प्रस्तावित, 6/1 की 0.025 रास्ता, 6/2 की 0.228, 378/440(10) 20-21 की 0.506, 378/441(21) 1/2 की 0.228, 1/3 की 0.013 रास्ता, 1/4 की 0.012 खाला, 10 की 0.253 कुल किता 23 - 2.958 नहरी- 2.743, रास्ता- 0.077, खाला- 0.138

2. दलीपसिंह पुत्र बस्तीराम कौम जाट सा० रामगढ़ खातेदार रहन एसबीआई शाखा 12 डीपीएन गोगामेड़ी- प०न० 377/440 के मु०न० 11 के किला न० 3/1 की 0.177, 7/2 की 0.252, 8/1 की 0.178, 13/1 की 0.178, 14 की 0.253, 17 की 0.253, 18/1 की 0.178, 23/1 की 0.178, 24/2 की 0.126, 377/439(2) 23/1 की 0.080, 377/441(20) 3/1 की 0.025 खाला, 3/2 की 0.013 रास्ता, 3/3 की 0.169, 4/1 की 0.025 खाला, 4/2 की 0.013 रास्ता, 4/3 की 0.215, 7-8 की 0.506 कुल किता 18 - 2.819, नहरी- 2.743, खाला - 0.050, रास्ता- 0.026

3. हेमराज पुत्र बस्तीराम जाति जाट सा० रामगढ़ खातेदार रहन एसबीआई शाखा रामगढ़ उज्जलवास- 377/439(2) के किला न० 22 की 0.038, 23/2 की 0.013, 377/440(11)


Lahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2 की 0.253, 3/2 की 0.075, 8/2 की 0.075, 9 की 0.253, 11/2 की 0.044, 12 की 0.253, 13/2 की 0.075, 18/2 की 0.075, 19 ता 22 की 1.012, 23/2 की 0.075, 377/441(20) 1/1 की 0.025 खाला, 1/2 की 0.228, 2/1 की 0.025 खाला, 2/2 की 0.228, 3/4 की 0.046 कुल किता 20 की 2.793 हैक्ट, नहरी- 2.743 हैक्ट, खाला- 0.050

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 09/09/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 669/2023

अनवान : -

1. रतन कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. दलीप सिंह पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. वीर सिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. शान्ति पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. हेमराज पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 669 सन 2023 निर्णय दिनांक 09/09/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 167/167 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 263/245 की कुल 8.5700 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

रोही मौजा 20 डीपीएन

1. रतन कुमार पुत्र अमीलाल 1/3 हि०, वीरसिंह पुत्र अमीलाल 1/3 हि०, शान्ति पत्नी अमीलाल 1/3 हि० कौम जाट सा० रामगढ़ खातेदार रहन रतन कुमार वीरसिंह हि० एसबीआई शाखा रामगढ़ उज्जलवास- प०न० 373/440 के मु०न० 46 के किला न० 4/1 की 0.104, 5/1 की 0.025 रास्ता, 5/2 की 0.228 हैक्ट, 6/1 की 0.025, 6/2 की 0.215, 6/3 की 0.013 रास्ता प्रस्तावित, 7/1 की 0.102, 15/1 की 0.025 रास्ता, 15/2 की 0.160, 16/1 की 0.025 रास्ता, 16/2 की 0.160 कुल कित्ता 11 - 1.082 हैक्ट, नहरी- 0.0969, रास्ता- 0.113 हैक्ट
2. दलीपसिंह पुत्र बस्तीराम कौम जाट सा० रामगढ़ खातेदार रहन एसबीआई शाखा 12 डीपीएन गोगामेडी- प०न० 373/440 के मु०न० 46 के किला न० 3/1 की 0.034, 4/2 की 0.149, 7/2 की 0.138, 7/3 की 0.13 रास्ता प्रस्तावित, 8/1 की 0.32, 8/2 की 0.002 रास्ता प्रस्तावित, 14/1 की 0.092, 15/3 की 0.068, 16/3 की 0.068, 17/1 की 0.092, प०न० 373/439 मु०न० 23 के किला न० 23/1 की 0.043, 24 की 0.253 कुल कित्ता 12 - 0.984 हैक्ट, नहरी-0.969, रास्ता- 0.015 रास्ता
3. हेमराज पुत्र बस्तीराम कौम जाट सा० रामगढ़ खातेदार रहन एसबीआई शाखा रामगढ़ उज्जलवास- प०न० 373/440 के मु०न० 46 के किला न० 3/2 की 0.219, 8/3 की 0.219, 14/2 की 0.161, 17/ की 0.161, प०न० 373/439 मु०न० 23 के किला न० 23/2 की 0.210 हैक्ट कुल कित्ता 5 - 0.970 हैक्ट

रोही मौजा चक 16 डीपीएन


Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1. रतन कुमार पुत्र अमीलाल 1/3 हि०, वीरसिंह पुत्र अमीलाल 1/3 हि०, शान्ति पत्नी अमीलाल 1/3 हि० कौम जाट सा० रामगढ़ खातेदार रहन रतन कुमार वीरसिंह हि० एसबीआई शाखा रामगढ़ उज्जलवास-प०न० 377/440 मु०न० 11 के किला न० 3/3 की 0.001, 4 की 0.253, 6/1 की 0.025 खाला, 6/2 की 0.228, 7/1 की 0.001, 15/1 की 0.228, 15/2 की 0.228, 16/1 की 0.025 खाला, 16/2 की 0.228, 24/1 की 0.127, 25/1 की 0.026 खाला, 25/2 की 0.227, प०न० 377/439(2) किला न० 23/3 की 0.046, 377/441(20) के किला न० 5/1 की 0.026 रास्ता, 5/2 की 0.025 खाला, 5/3 की 0.189, 5/4 की 0.013 रास्ता प्रस्तावित, 6/1 की 0.025 रास्ता, 6/2 की 0.228, 378/440(10) 20-21 की 0.506, 378/441(21) 1/2 की 0.228, 1/3 की 0.013 रास्ता, 1/4 की 0.012 खाला, 10 की 0.253 कुल किता 23 - 2.958 नहरी- 2.743, रास्ता- 0.077, खाला- 0.138.
2. दलीपसिंह पुत्र बस्तीराम कौम जाट सा० रामगढ़ खातेदार रहन एसबीआई शाखा 12 डीपीएन गोगामेड़ी- प०न० 377/440 के मु०न० 11 के किला न० 3/1 की 0.177, 7/2 की 0.252, 8/1 की 0.178, 13/1 की 0.178, 14 की 0.253, 17 की 0.253, 18/1 की 0.178, 23/1 की 0.178, 24/2 की 0.126, 377/439(2) 23/1 की 0.080, 377/441(20) 3/1 की 0.025 खाला, 3/2 की 0.013 रास्ता, 3/3 की 0.169, 4/1 की 0.025 खाला, 4/2 की 0.013 रास्ता, 4/3 की 0.215, 7-8 की 0.506 कुल किता 18 - 2.819, नहरी- 2.743, खाला - 0.050, रास्ता- 0.026
3. हेमराज पुत्र बस्तीराम जाति जाट सा० रामगढ़ खातेदार रहन एसबीआई शाखा रामगढ़ उज्जलवास- 377/439(2) के किला न० 22 की 0.038, 23/2 की 0.013, 377/440(11) 2 की 0.253, 3/2 की 0.075, 8/2 की 0.075, 9 की 0.253, 11/2 की 0.044, 12 की 0.253, 13/2 की 0.075, 18/2 की 0.075, 19 ता 22 की 1.012, 23/2 की 0.075, 377/441(20) 1/1 की 0.025 खाला, 1/2 की 0.228, 2/1 की 0.025 खाला, 2/2 की 0.228, 3/4 की 0.046 कुल किता 20 की 2.793 हैक्ट, नहरी- 2.743 हैक्ट, खाला- 0.050

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 09/09/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर